लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2342
उत्तर देने की तारीखः 03.12.2019

अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ निधि

2342. सुश्री मिमी चक्रवर्तीः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2015 से अनुसूचित जातियों की कल्याण योजनाओं के लिए आबंटित निधि की राशि कितनी है और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्या योजनाएं लागू की जा रही हैं;

(ख) योजनाओं के लिए अब तक निधि की कुल कितनी राशि व्यय की गई है और वर्ष 2015 से कितनी राशि व्यय नहीं हुई है; और

(ग) निधि के व्यय नहीं किए जाने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि आबंटित निधि पूर्णतः व्यय हो और उसका उपयोग दक्षतापूर्ण हो?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) : मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं कार्यान्वत की जाती हैं। 2015-16 से 2018-19 तक योजनावार निधियों का आबंटन और व्यय संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

वित्त वर्ष की समाप्ति पर, विभिन्न योजनाओं के तहत अव्ययित शेष राशि व्यपगत हो जाती है।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता।

****

अनुबंध

दिनांक 03.12.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2342 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए योजनाएं

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
1.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1599.0	2213.9	2791.0	2798.8	3348.0	3414.2	3000.0	5829.2
2.	एससी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	842.6	524.7	550.0	507.5	50.0	63.0	125.0	115.4
3.	एससी छात्रों का योग्यता उन्नयन	4.0	2.8	3.0	1.0	2.0	1.2	0.0	0.0
4.	बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रावास	75.0	49.0	45.0	35.0	155.0	74.9	160.5	36.6
5.	अस्वच्छ व्यवसायों तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से जोखिमपूर्ण कार्यों में लगे व्यक्तियों के बच्चों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	10.0	2.4	2.0	1.9	2.7	0.4	5.0	3.1
6.	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	200.0	195.8	90.0	62.7	40.0	39.0	70.0	167.9
7.	एससी उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना	1107.4	800.0	800.0	797.9	800.0	731.4	1000.0	897.3
8.	एससी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	209.6	200.6	200.0	196.0	230.0	225.4	300.0	240.0
9.	एससी के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	6.1	16.1	15.0	14.0	15.0	4.6	15.0	6.0
10.	एससी के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा	21.4	29.8	21.0	28.8	35.0	34.0	35.0	25.5
11.	एससी और ओबीसी छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग	12.2	6.8	25.0	1.5	25.0	19.8	30.0	14.9
12.	अनुसूचित जातियों के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक और अन्य संगठनों को अनुदान के रूप में केंद्रीय क्षेत्र की योजना	51.00	49.72	70.00	69.99	70.00	70.00	30.00	36.07
13.	अत्याचार निवारण (पीओए), अधिनियम 1989	90.75	119.07	150.00	222.56	300.00	355.86	403.72	405.72
14.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम	100.00	100.00	138.00	138.00	128.21	128.21	137.39	137.39
15.	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
16.	अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूंजी निधि	100.00	0.01	40.00	40.00	40.00	40.00	140.00	10.00
17.	अनुसूचित जातियों के लिए ऋण संवर्धन गारंटी योजना	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
18.	मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए योजना (एसआरएमएस)	एसआरएमएस के तहत 2014-15 से 30.11.2019 तक एसआरएमएस की कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम को 160.56 करोड़ रुपये की राशि व्यय हेतु जारी की गई है।							